पत्रांक - 13182 दि0 07/08/2024

दिनांक 02.08.2024 एवं 03.08.2024 को सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में पत्रांक 13088 दिनांक 31.07.2024 के आलोक में सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ की गयी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

दिनांक 02.08.2024 एवं 03.08.2024 को सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलो में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने संबंधी पत्रांक 13088 दिनांक 31.07.2024 द्वारा निर्धारित विषयों के आलोक में सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ बैठक की गई। बैठक में की गई समीक्षा एवं समीक्षोपरान्त दिये गये निदेश निम्नवत् है :–

1. **जिला स्तर से नवनियोजित कर्मियों की R2R सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिविरवार एवं ग्रामवार टैंगिंग**– समीक्षा में नालंदा, शिवहर एवं अरवल द्वारा बताया गया कि सभी कर्मियों की टैगिंग R2R सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दी गई है। समीक्षा में पाया गया कि इन तीन जिलों को छोड़कर किसी जिले द्वारा शिविर टैंगिंग का कार्य R2R के माध्यम से नहीं किया गया है। बैठक में निदेशित किया गया कि R2R सॉफ्टवेयर के संचालन संबंधी कठिनाईयों को दूर करने के लिए भू–अभिलेख एवं परिमाप के आई0टी0 सेल से मार्गदर्शन प्राप्त कर निदेशालय स्तर पर ही टैंगिंग का कार्य पूर्ण किया जाए।

   शिविरवार/ग्रामवार टैगिंग के संबंध में निदेशित किया गया कि प्रत्येक अंचल में कुल खेसरों की संख्या के आधार पर अमीनों को इस तरीके से ग्राम आवंटित किये जाये ताकि प्रत्येक अमीन को कार्य करने हेतु खेसरों की संख्या समानूपातिक रूप से समान हो। यथा संभव इस तथ्य का भी ध्यान रखा जाय की अमीनों को प्राप्त होने वाले ग्रामों की बीच की दुरी बहुत ज्यादा ना हो।

2. **जिला स्तर से प्रपत्र–1 में ग्रामवार उद्घोषणा**– समीक्षा में बताया गया कि भोजपुर को छोड़कर शेष सभी जिलों द्वारा ग्रामवार उद्घोषणा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया कि उनके जिलान्तर्गत वर्ष 2021 में ही जिले के सभी राजस्व ग्रामों की उद्घोषणा कर दी गई थी, जबकि नालंदा द्वारा बताया गया कि उनके जिलें में वर्ष 2017 में ही सभी ग्रामों की उद्घोषणा कर दी गई थी।

निदेशित किया गया कि ग्रामवार उद्घोषणा का प्रकाशन बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक ग्राम के लिए अलग–अलग करने के पश्चात् उसकी प्रति ग्राम अभिलेख में संधारित की जाय। उद्घोषणा के पश्चात् के रैयतों से प्राप्त की जाने वाली स्वघोषणा एवं वंशावली को अधिक से अधिक ऑन लाईन के माध्यम से समर्पित करने के लिए रैयतों को प्रोत्साहित किया जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आई0टी0 मैनेजर से राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों का मोबाईल प्राप्त कर बन्दोबस्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाय ताकि जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य में संलग्न कर्मियों के साथ एक Communication Plan तैयार किया जा सके और विशेष सर्वेक्षण में अधिक से अधिक रैयतों की सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके।

3. **ग्राम सभा के लिए ग्रामवार एवं तिथिवार बनाया गये कैलेन्डर की समीक्षा** – बैठक में कुल नये जिलों में से 09 जिलों द्वारा ग्रामवार एवं तिथिवार ग्राम सभी के कैलेन्डर संधारित कर समर्पित किया गया। शेष जिलों द्वारा ग्राम सभा प्रारंभ करने की तिथि के संबंध में प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

क्र0सं0	जिला का नाम	ग्राम सभा प्रास्तावित की तिथि	क्र0सं0	जिला का नाम	ग्राम सभा प्रास्तावित की तिथि
1	अररिया	10.08.2024	21	रोहतास	12.08.2024
2	अरवल	—	22	समस्तीपुर	05.08.2024
3	बांका	22.08.2024	23	मधुबनी	16.08.2024
4	बेगूसराय	09.08.2024	24	दरभंगा	12.08.2024
5	जमुई	05.08.2024	25	छपरा	16.08.2024
6	जहानाबाद	09.08.2024	26	सिवान	07.08.2024
7	कटिहार	10.08.2024	27	गोपालगंज	07.08.2024
8	खगड़िया	05.08.2024	28	भागलपुर	16.08.2024
9	किशनगंज	16.08.2024	29	पूर्वी चम्पारण	16.08.2024
10	लखीसराय	16.08.2024	30	पटना	20.08.2024
11	मधेपुरा	16.08.2024	31	बक्सर	10.08.2024

क्र0स0	जिला का नाम	ग्राम सभा प्रास्तावित की तिथि	क्र0स0	जिला का नाम	ग्राम सभा प्रास्तावित की तिथि
12	मुंगेर	09.08.2024	32	भोजपुर	08.08.2024
13	नालंदा	01.08.2024	33	भभुआ	05.08.2024
14	पूर्णियाँ	16.08.2024	34	गया	10.08.2024
15	सहरसा	08.08.2024	35	नवादा	10.08.2024
16	शेखपुरा	—	36	वैशाली	16.08.2024
17	शिवहर	01.08.2024	37	औरंगाबाद	16.08.2024
18	सीतामढ़ी	10.08.2024	38	मुजफ्फरपुर	02.09.2024
19	सुपौल	06.08.2024			
20	प0 चम्पारण	17.08.2024			

समीक्षा में पाया गया कि विभिन्न जिलों द्वारा ग्राम सभा का कैलेन्डर पंचायतवार तैयार किया गया है। इस संबंध में ग्रामवार एवं तिथिवार कैलेन्डर बनाने का निदेश दिया गया। विभिन्न जिलों द्वारा पृच्छा की गई कि ग्राम सभा में कौन–कौन से पदाधिकारी भाग लेगे, साथ ही पंचायत स्तर पर मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की ग्राम सभा में क्या भूमिका होगी एवं कई छोटे ग्रामों को मिलाकर एक साथ ग्राम सभा की जा सकेगी अथवा नहीं।

ग्राम सभा के बारे स्पष्ट किया गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अर्न्तगत की जाने वाली ग्राम सभा पंचायती राज विभाग अर्न्तगत होने वाली ग्राम सभा पूर्णतया भिन्न है। विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में की जाने वाली ग्राम सभा का उदेश्य विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सभी जानकारियों से सभी रैयतों को अवगत कराना है, जिसमें अधिक से अधिक रैयतों की सहभागिता आवश्यक है और पंचायत स्तर के स्थान पर प्रत्येक ग्राम में की जानी है। यदि किसी ग्राम में खेसरों की संख्या बहुत कम हो तो विभिन्न छोटे–छोटे ग्रामों को मिलाकर एक साथ ग्राम सभा की जा सकती है। साथ ही ग्राम सभाओं में रैयतों द्वारा समर्पित वंशावली का सत्यापन किया जाना है। ग्राम सभा में पदाधिकारियों की सहभागिता के संबंध मे स्पष्ट किया गया कि ग्राम सभा का कैलेण्डर इस तरह से बनाया जाए ताकि प्रत्येक ग्राम सभा में अमीन के साथ शिविर प्रभारी/कानूनगों एवं बन्दोबस्त

पदाधिकारी द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी अथवा कानूनगो में से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से भाग लिया जा सके, कई छोटे ग्रामों के लिए एक ग्राम सभा किए जाने की स्थिति से सभी ग्रामों की संयुक्त कार्यवाही को एक साथ संधारित कर प्रति प्रत्येक ग्राम के साथ संधारित कर दी जाए।

4. **ग्रामवार अभिलेख प्रचार प्रसार कर्मियों की आई0डी0 इत्यादि** – कर्मियों की शिविरवार/ग्रामवार टैगिंग ग्रामवार उद्घोषणा एवं ग्राम सभा के अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित भी निदेश दिए गए को निम्नवत् है :–

(i). बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को ग्राम अभिलेख में की जाने वाली प्रविष्टि एवं उनके संधारण के संबंध में में बताया गया और स्पष्ट किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अर्न्तगत ग्राम अभिलेख एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें प्रत्येक प्रक्रम में की गई प्रविष्टियों के संधारण की सहायता से ही किसी भी ग्राम के अन्तिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जाता है।

(ii). निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के जिलास्तरीय प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग बैनर इत्यादि मुद्रित की जाने वाली सामग्री का प्रारूप निदेशालय स्तर पर तैयार कर लिया गया है। प्रचार संबंधी सामग्री को प्राप्त करने की लिए श्री राजेश कुमार सिंह मिडिया प्रभारी सह अनुदेशक के सम्पर्क (9525439088) से सभी को अवगत कराया गया।

(iii) सभी जिलों को R2R सॉफ्टवेयर से विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के ID का का फॉर्मेट प्राप्त कर अविलम्ब सभी कर्मियों का आई0डी0 तैयार कर कर्मियों को उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

(iv) निदेशित किया गया कि सभी नियोजित कर्मियों द्वारा विशेष सर्वेक्षण से संबंधित प्रत्येक कार्य का संधारण भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में केवल कम्प्यूटर/लैपटॉप द्वारा ही किया जाएगा। सभी को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम में नवनियोजित कर्मियों को नियोजन संबंधी शर्त्तो के अनुसार प्रत्येक कर्मी द्वारा

लैपटॉप रखा जाना अनिवार्य है। अतः किसी भी कर्मी द्वारा मोबाईल की सहायता से कार्य किया जाता है तो उसकी संविदा समाप्ति की अनुशंसा की जाए।

अन्त सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह) 6/8/24
सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे– 13 / 2024 13182 पटना, दिनांक 07/08/2024

प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे– 13 / 2024 13182 पटना, दिनांक 07/08/2024

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना / सहायक निदेशक / विशेष कार्य पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रशाखा पदाधिकारी / निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग / प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे– 13 / 2024 13182 पटना, दिनांक 07/08/2024

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमार, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे– 13 / 2024 13182 पटना, दिनांक 07/08/2024
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे– 13 / 2024 13182 पटना, दिनांक 07/08/2024
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।